न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश
= =

नि० 2568-I/16 सन् 2016

प्र.क्रं.

बसंता बसोर तनय श्री धनौटा बसोर
निवासी ग्राम देरी तह. व जिला छतरपुर म.प्र..... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

......गैरनिगरानीकर्ता

शासन मध्य प्रदेश

निगरानी रा.प्र.क्रं. 19/अ-21/2015-16 पारित आदेश दिनांक 02.07.2016 न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध
म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50(2) एवं संशोधित अधि. 2011 के तहत्।
- -

महोदय,

निगरानीकर्ता आवेदन श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित आशय की निगरानी सादर प्रस्तुत करता हैं कि :-

1. यह कि भूमि ख.नं. 1699/2 रकबा 0.800 हे. स्थित मौजा देरी तह. व जिला छतरपुर की भूमि का पट्टा रा.प्र.क्रं. 06/अ-19(1)/1997-98 आदेश दिनांक 30.06.1998 को आवेदक को प्राप्त हुआ था। उक्त भूमि एक फसली होने से प्रार्थी को अच्छी फसल प्राप्त नही हो पाती जिससे उसके परिवार का भरण पोषण करने मे असुविधा होती हैं उक्त भूमि को विक्रय करके आवेदक अन्यत्र उपजाऊ भूमि क्रय करना चाहता हैं ताकि उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके, जिससे वाद भूमि के विक्रय की अनुमति बावत् आवेदन पत्र संहिता की धारा 165(7) ख. के तहत न्यायालय श्रीमान् अपर कलैक्टर महोदय, छतरपुर (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा) के समक्ष प्रस्तुत किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

2. -: निगरानी के आधार :-
- - - - - - - - - - - - -

1. यह कि प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांक 02.07.2016 से नकल लेने मे लगे समय को मुजरा करते हुए समय सीमा मे श्रीमान् के न्यायालयीन क्षेत्राधिकार मे होने से श्रवण किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि आवेदक गरीब कृषक व्यक्ति हैं उक्त भूमि एक फसली असिंचित

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 2568–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों के हस्त
5-8-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्र0 क0 19 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 2–7–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक बसंता बसोर पुत्र धरीया बसोर ने अपर कलेक्टर छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके खाते की ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर को विकय किये जाने हेतु अनुमति मॉगी। अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 19 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 2–7–2016 से विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने आवेदक की भूमि के खसरा वर्ष 2013–14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है यह भूमि एकफसलीय होने से उपजाऊ है जिसके कारण खेती का समुचित लाभ आवेदक को प्राप्त नहीं होता है इसी कारण से वह इस भूमि को विकय करके अन्य कृषि योग्य भूमि की खरीद	

करेगा। अपर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन के तथ्यों की जॉच न कराते हुये विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत की गई खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है तथा खसरा वर्ष 2014–15 के अंकन अनुसार भूमि विक्रय से बर्जित भी नहीं है तथा शासकीय पटटे की होना मात्र अंकित है। यह पटटा आवेदक को तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 6 अ 19/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1998 से दिया गया है तथा पटटा आज की स्थिति में 18 वर्ष पुराना है एंव शासकीय अभिलेख में आवेदक भूमिस्वामी दर्ज है। प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि आवेदक विक्रय कर सकता है ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया–उपबंध आकर्षित नहीं होते।
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत – रिकार्डेड भूमिस्वामी पटटे के 10 वर्ष उपरांत भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग हेतु स्वतंत्र है।

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 2568–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों
	उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 2–7–16 में इस तथ्य को भी विचार में नहीं लिया है कि आवेदक के वाद विचारित भूमि का 18 वर्ष से भूमिस्वामी चला आ रहा है एंव पटटा प्राप्ति के उपरांत पटटे की शर्तो का पालन करने के कारण वह भूमिस्वामी बना है, जिसके कारण आवेदक को विकय अनुमति देने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 2–7–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :– 1. विकय पत्र का पॅजीयन वर्तमान वर्ष की प्रचलित शासकीय गाईड लायन के मान से किया जावेगा। 2. विकेता को विकय धन प्राप्त होने की सन्तुष्टि के उपरांत उप पंजीयक विकय पत्र संपादित करेंगे। 3. विकय पत्र का पंजीयन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर करना होगा, यदि इस अवधि में विकय पत्र संपादित नहीं होता है तब यह आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। सदस्य	